8/10/25

वकील प्रार्थी उप० / अप्रार्थीगण हाजिर।
AD अप्रार्थी 6 / वाद तामील प्राप्त हुई।
हेतु जवाब फाइल दिनांक 08/11/25 को
पेश हो। पुनश्च: अप्रार्थी 6 /
जरिये उपस्थित होकर जवाब प्रा० पत्र
पेश कर प्रार्थना पत्र की मदों को स्वीकार
करते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार करने
हेतु निवेदन किया प्रकरण में अप्रार्थी
द्वारा कोई आपत्ति/विरोध पेश नहीं करवाया
गया है ऐसी स्थिति में प्रार्थना पत्र अप्रार्थी
द्वारा स्वीकार किए जाने के परिणामस्वरूप
प्रकरण प्रथम दृष्टया ही स्वीकार योग्य पाया
जाता है अतः प्रार्थना पत्र 39 R 1 A
स्वीकार कर प्रकरण में पारित ता. दिनांक
11/09/2025 को मूल वाद के निर्णय तक
कन्फर्म/स्थाई किया जाता है। पत्रावली
मिसल में शामिल [illegible] वाद के साथ
संलग्न रहे। आदेश सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
श्री विजयनगर